तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ... जो इस हुक्म ... में ...
29.9.25	पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण मे उभय पक्ष की बहस प्रा. पत्र आदेश 22 नि. 03 CPC व धारा 05 मियाद अधि. एवं प्रा. पत्र आदेश 22 नि. 04 जा. दी. एवं धारा 05 मियाद अधि. पर सुनी गई, वकील वादी ने बहस प्रा. पत्र आदेश 22 नि. 03 जा. दी. व धारा 05 मि. अधि. पर इस प्रकार से निवेदन किया है कि वादी स. 2 बोतलाल पिता देवीलाल गुर्जर कि मृत्यु दि. 1-04-2024 को हो गई है। मृतक के विधिक वारिसान 2/1 भैरूलाल 2/2 हेमराज 2/3 कालुलाल पिता बोतलाल, 2/4 लाली बाई पत्नि भैरू जी गुर्जर [पुत्रवधु] बोतलाल 2/5 जमना उर्फ जमनी पुत्री बोतलाल एवं वादी स. 4 बालु पिता हिरा जी गुर्जर का दिनांक 22-4-2020 को स्वर्गवास हो गया है। जिसके विधिक वारिसान 3/1, उदयलाल पिता बालु गुर्जर है। एवं वादी स. 6 हरकू बेवा हिरा जी गुर्जर का दिनांक 27-2-2022 को स्वर्गवास हो गया है। जिनके विधिक वारिसान 4/1 भंवरलाल 4/2 बंशीलाल पिता हिरा गुर्जर पूर्व से ही रिकार्ड पर होने से वादी मृतक हरकू बेवा हिरा गुर्जर का नाम डिलिट किया जावे। एवं वादी स. मृतक बोतलाल, मृतक वादी स. 4 बालु के विधिक वारिसान को प्रा. पत्र स्वीकार कर रिकार्ड पर लिया जावे। प्रा. पत्र आदेश 22 नि. 04 जा. दी. धारा. 05 मि. अधि. पर अपनी बहस मे इस प्रकार से निवेदन किया है कि प्रति वादी स. 14 पुजन पुत्री रवाना गुर्जर का दिनांक 30-1-2024 को मृत्यु हो गई है। जिसके विधिक वारिसान 1/1 सीताराम 1/2 मीनाक्षी 1/3 द्रौपती उर्फ छोटी पिता रूघनाथ गुर्जर विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने कि स्वीकृति प्रदान करें। वादीगण ग्रामीण परिवेश के होने एवं कानुनी जानकारी नही होने से नियत समय मे मृतक वादी स. 2 व वादी स. 04 व 06 एवं मृतक प्रतिवादी स. 14 के विधिक वारिसान को प्रकरण मे पक्षकार बनाने हेतु प्रा. पत्र पेश नही कर सके वादीगण ने जानबूझ	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए

कर देरी नही की है। विधिक वारसान को पत्रावली मे रिकार्ड पर लिये जाने मे अधिक व्यतीत हुई देरी को कन्डोन किये जाने एवं मृतक के विधिक वारसान को रिकार्ड पर लिये जाने का आदेश फरमाया जावे। इस पर वकील प्रतिवादी ने उक्त प्रा.पत्र का जवाब प्रा.पत्र पेश नही कर सिधे बहस सुनाये जाने का निवेदन करने पर जवाब प्रा.पत्र पेश करने का अवसर बन्द किया जाकर वकील प्रतिवादी की बहस सुनी गई। वकील प्रतिवादी ने अपनी जवानी बहस मे इस प्रकार से निवेदन किया है कि पक्षकार को रिकार्ड पर लेने हेतु 90 दिवस कि अवधि मे प्रा.पत्र पेश किया जाना होता है। किन्तु वादीगण ने मृतक वादी स.2 कि मृत्यु दिनांक 1.04.2024 को होना बताया है किन्तु प्रा.पत्र 21.11.2024 को पेश किया है। जो लगभग 7 माह से अधिक समय पश्चात पेश किया। वादी सं. 04 मृतक बालु कि मृत्यु दिनांक 22.04.2020 होना बताया है किन्तु प्रा.पत्र दिनांक 21.11.2024 को पेश किया जो लगभग 05 वर्ष अधिक समय पश्चात पेश किया। वादी सं.06 मृतक हरकु की मृत्यु दिनांक 27-1-2022 को स्वर्गवास होना बताया है। किन्तु प्रा.पत्र 21.11.2024 को पेश किया जो लगभग 03 वर्ष से अधिक समय पश्चात ही पेश है ऐसे ही मृतक प्रतिवादी स.14 पूजन का प्रा.पत्र भी लगभग 10 माह पश्चात पेश किया है। प्रकरण मे वादीगण की मृत्यु हुई है। और ऐसा संभव नही है। कि वादीगण को जानकारी नही हुई। विधिक वारसान को प्रकरण मे रिकार्ड पर लिये जाने मे अधिक व्यतीत हुई देरी को कन्डोन नही किया जा सकता है। अतः वादीगण का प्रा.पत्र आदेश 22 नि.03 जा.दी. व आदेश 22 नि.04 जा.दी. व धारा 05 मियाद अधि. को खारिज कर वादीगण का दावा अबेट किया जावे। प्रकरण मे उभय पक्ष की बहस को ध्यान पूर्वक सुनी गई व प्रकरण मे वादीगण व प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तो का भी गहन अवलोकन किया गया। प्रकरण का अवलोकन करने पर पूर्व मे दिनांक 5.5.25 को वादी स.1 मांगीलाल

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	पिता: हरदेव जी गुर्जर की मृत्यु होने पर विधिक वारिसान को रेकार्ड पर लेने हेतु प्रा.पत्र आदेश 22 नि.03 का दिनांक 19.10.2023 को पेश किया एवं साथ धारा 05 मियाद अधि. का पेश किया गया था। जिस पर दोनो पक्षों को सुन कर प्रा.पत्र विलम्ब से पेश करने पर कोस्ट लगा कर स्वीकार किया गया था। प्रकरण मे वादी सं.04 बालु कि मृत्यु दिनांक 22.04.2020 व वादी सं.06 हरकू की मृत्यु 27.1.2022 होने का प्रा.पत्र मे अंकन किया हुआ है। जो मृतक वादी सं.1 की मृत्यु होने से पूर्व ही उक्त वादीगण की मृत्यु हो चुकी थी। प्रकरण मे वादी सं 1 की मृत्यु होने पर वादीगण द्वारा कायम मुकाम प्रा.पत्र पेश किया था। उस समय मृतक वादी सं.04 व 06 के विधिक वारिसान को रेकार्ड पर लेने की कार्यवाही वादीगण द्वारा क्यों नही कि गई जबकि सभी वादीगण एक ही परिवार के व एक ही समाज के है। इससे ये प्रतीत होता है। कि वादीगण ने जान बूझ कर वाद पत्र की प्रक्रिया को लम्बित करने की गरज से समय अवधि मे प्रा.पत्र पेश नही किये गये। प्रकरण मे प्रस्तुत प्रा.पत्र आदेश 22 नि.03 व आदेश 22 नि.04 जा.दी. के साथ प्रा.पत्र धारा 05 मियाद अधि. का पेश किया गया है। उसमे भी वादीगण ने प्रति दिन विलम्ब होने का कोई ठोस कारण का अंकन नही किया गया है। प्रकरण मे जब वादी सं.1 मांगीलाल की मृत्यु होने पर कायम मुकाम प्रा.पत्र वादीगण द्वारा न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया था उस समय भी वादी सं.4 व 06 की मृत्यु होने की सूचना देकर कायम मुकाम प्रा.पत्र पेश किया जा सकता था। किन्तु ऐसा वादीगण द्वारा नही किया गया एवं विलम्ब से प्रा.पत्र आदेश 22 नि.03 एवं प्रा.पत्र आदेश 22 नि.04 जा.दी. पेश करने का कोई ठोस कारण का उक्त प्रा.पत्रो मे अंकन नही किये जाने से प्रा.पत्र खारिज किये जाने योग्य पाये जाते है। अत: प्रकरण मे प्रस्तुत प्रा.पत्र आदेश 22 नि.03 एवं आदेश 22 नि.04 जा.दी. व धारा 05 मियाद अधि. को खारिज किये जाते है। साथ ही वादी सं.04 बालु व वादी सं.02 व वादी सं.06 एवं प्रतिवादी सं 14 पूजन की मृत्यु होने से तथा उनके विधिक वारिसान को यथा समय रिकार्ड पर नही लिये जाने से वाद वादीगण का अबेट किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।